न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
43/2025	11/11/2025	03/12/2025

1. रामप्यारीबाई पुत्री नाथू पत्नी राजेन्द्र जाति माली निवासी कजलियाँ हाल निवास च्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. कंचनबाई पुत्री नाथू पत्नी देवकरण जाति माली निवासी कजलियाँ हाल मुकाम जेतलखेडी तहसील मॉगरोल जिला बाँरा राज०
3. धनवंतीबाई पुत्री नाथू पत्नी नरोतम जाति माली निवासी कजलियाँ तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल मुकाम पीपल्दा कलाँ तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. भूलीबाई पुत्री नाथू पत्नी धनराज जाति माली निवासी कजलियों तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल मुकाम मियादा तहसील व जिला बॉरा राज०
5. मन्नाबाई उर्फ उर्मिलाबाई पुत्री नाथू पत्नी महावीर जाति माली निवासी कजलियाँ तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल मुकाम किशोरपुरा तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथू पुत्र माधो जाति माली निवासी कजलियाँ तहसील पीपल्दा बजिला कोटा राज०
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान् तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री नन्दकिशोर कुशवाहा एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके माल कजलिया पटवार हल्का पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित आराजी ख०नं0 212 रकबा 0.16 है०, ख० नं0 224 रकबा 0.25 है०, ख० नं0 380 रकबा 0.23 है०, ख० नं0 385 रकबा 0.10 है०, ख० नं० 386 रकबा 0.56 है०, ख० नं0 400 रकबा 0.36 है०, ख० नं0 403 रकबा 1.51 है०, ख०नं0 408 रकबा 0. 21 है0, ख० नं0415 रकबा 0.71 है०, ख० नं0 589 रकबा 0.09 है०. कुल 10 किता की कुल रकबा 4.18 है. कृषि भूमि स्थित है, जिसको आगे वाद पत्र मे विवादित कृषि भूमियों से सम्बोधित किया गया है। विवादित कृषि भूमियों के खातेदार अप्रार्थी कम 1 नाथू पुत्र माधो जाति माली निवासी कजलिया राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। उक्त विवादित कृषि भूमियाँ अप्रार्थी कम 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति नही है, बल्कि पैतृक सम्पत्ति है, जो कि अप्रार्थी कम 1 को माधो के खाते से प्राप्त हुई है। अप्रार्थी कम 1 के कोई पुत्र नहीं है, केवल पॉच पुत्रिया कमशः रामप्यारीबाई, कंचनबाई, धनवन्तीबाई, भूलीबाई. मन्नाबाई उर्फ उर्मिलाबाई प्रार्थीगण है, सभी प्रार्थीगण 1 ता 5 मोके पर 1/6–1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है। विवादित कृषि भूमियाँ अप्रार्थी कम 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है, बल्कि पैतृक सम्पत्ति है, इसलिए विवादित कृषि भूमियों मे प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/6–1/6 हिस्सा निहित है और मौके पर भी प्रार्थीगण 1/6–1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है, अप्रार्थी कम 1 प्रार्थीगण को समय समय पर नही बुलाता

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

है, और सामाजिक प्रोगाम मे भी नही बुलाता है, और प्रार्थीगण कहती है तो विवादित कृषि भूमियो को बैचान, रहन, वसीयत, दान से हस्तान्तरित करने की धमकी देता है, जबकि मौके पर प्रार्थीगण 1/6–1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है, इसलिये प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड मे विवादित कृषि भूमियों मे प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी कम 1 ने दिनांक 25/10/2025 को सरेआम वादीगण को धमकी दी कि मैं विवादित कृषि भूमियो को रहन, बैचान, दान, वसीयत, आदि से हस्तान्तरित करके रहूँगा, जबकि मौके पर 1/6–1/6 हिस्से पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है, इसलिये प्रार्थीगण, अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 25/10/2025 को अप्रार्थी कम 1 द्वारा धमकी दी कि मैं विवादित कृषि भूमि को रहन, बैचान, दान, वसीयत, हस्तान्तरण आदि करके रहूँगा, जबकि विवादित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है, स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है, इसलिये प्रार्थीगण, अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध रिकॉर्ड व मौका यथास्थिति बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है, तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की है, अप्रार्थी कम 1 उक्त विवादित कृषि आराजी को अन्यत्र रहन, बैचान, दान, वसीयत, हस्तान्तरण आदि करने पर आमादा है, इसलिये प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति मुद्रा मे नही की जा सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वाके माल कजलियाँ पटवार हल्का पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित आराजी ख० नं0 212 रकबा 0.16 है०, ख०नं0 224 रकबा 0.25 है०, ख०नं0 380 रकबा 0.23 है०, ख०नं0 385 रकबा 0.10 है०, ख०नं0 386 रकबा 0.56 है०, ख०नं0 400 रकबा 0.36 है०, ख०नं0 403 रकबा 1.51 है०, ख०नं० 408 रकबा 0.21 है०, ख०नं0415 रकबा 0.71 है०, ख०नं0 589 रकबा 0.09 है०, कुल 10 किता की कुल रकबा 4.18 है. भूमि में अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विवादित कृषि भूमि को रहन, बैचान, दान, वसीयत, आदि से हस्तान्तरित नही करे, तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे, प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे, न ही अपने प्रतिनिधि से करावे। दौराने वाद पत्र विवादित कृषि भूमियों को प्रति० कम 1 हस्तान्तरण कर देता है तो विवादित दस्तावेज को शून्य घोषित किसा जावे, तथा राजस्व रिकॉर्ड मे इन्तकाल दर्ज नही किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की और से श्री नन्दकिशोर कुशवाह एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 की ओर से गिरिराज कुशवाहा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से जवाब पेश किया जो अग्रलिखित है। विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी कम 1 नाथू पुत्र माधो की स्वअर्जित सम्पति है। जिस पर अप्रार्थी कम 1 काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं और ना ही वर्तमान में है। वर्तमान में मौके पर अप्रार्थी कम 1 ही काबिज काश्त है। अप्रार्थी कम 1 रिकॉर्डेड खातेदार है और मौके पर काबिज है। इस कारण रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वतः ही खारिज होने योग्य है। विवादित कृषि भूमि स्वअर्जित सम्पति हैं इसलिए पिता के जीवनकाल में पुत्र व पुत्रीयों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रथम

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

दृष्टया केस नहीं हैं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं हैं तथा प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं हो रही है, क्योंकि प्रार्थीगण काबिज नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वतः खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रकरण में पिता की सम्पत्ति में वारिसान के अधिकारों को घोषित कराने संबंधी कथन किया गया है। पिता की सम्पत्ति को प्रार्थी द्वारा पैतृक व अप्रार्थी द्वारा स्वअर्जित बताया गया है। चूंकि सम्पत्ति के पैतृक अथवा स्वअर्जित होने का निर्धारण प्रा0 पत्र के द्वारा नहीं किया जाकर मूलवाद में साक्ष्य के आधार पर किया जाना है परन्तु सम्पत्ति में यदि वारिसान के अधिकारों संबंधी घोषणा दावे में की जाती है तथा सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा नाथू पुत्र माधो द्वारा ग्राम कजलियां पटवार हलका पीपल्दा खुर्द तह0 पीपल्दा में स्थित आराजी ख०नं0 212 रकबा 0.16 है०, ख० नं0 224 रकबा 0.25 है०, ख० नं0 380 रकबा 0.23 है०, ख० नं0 385 रकबा 0.10 है०, ख० नं० 386 रकबा 0.56 है०, ख० नं0 400 रकबा 0.36 है०, ख० नं0 403 रकबा 1.51 है०, ख०नं0 408 रकबा 0. 21 है0, ख० नं0415 रकबा 0.71 है०, ख० नं0 589 रकबा 0.09 है०. कुल 10 किता की कुल रकबा 4.18 है. सम्पूर्ण का बेचान हेतु पंजीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र की प्रतिलिपि पेश की है इससे विवादित आराजी के अंतरण की कार्यवायिों का पता चलता है। अतः प्रार्थी को इससे न केवल अपूरणीय क्षति कारित होगी बल्कि नामान्तरण दर्ज होने के उपरांत वाद में जटिलता नये पक्षकारों की बहुलता, पूर्व स्थिति बहाली में कठिनाई तथा अन्य असुविधाओं का सामना करना पडेगा। अप्रार्थी द्वारा भूमि के अंतरण करने हेतु पूर्ण तैयारियां कर लेने से प्रार्थी को अपरिमित क्षति का बिन्दु पूर्णतः सिद्ध होता है। प्रार्थी का अप्रार्थी की पुत्रीयां होने के कथन का खंडन अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में नहीं किया है। अतः प्रकरण सहदायिकी सम्पत्ति के अंतरण तथा अधिकारों की घोषणा से संबंधित होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध करता है। सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थी को कई असुविधाओं का सामना करना पडेगा किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थी को मौद्रिक प्रतिफल में विलंब के अतिरिक्त कोई अन्य असुविधा होना परिलक्षित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य पाया जाता है। इस संबंध में आदेश पारित किया जाता है कि ग्राम कजलिया पटवार हल्का पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित आराजी ख०नं0 212 रकबा 0.16 है०, ख० नं0 224 रकबा 0.25 है०, ख० नं0 380 रकबा 0.23 है०, ख० नं0 385 रकबा 0.10 है०, ख० नं० 386 रकबा 0.56 है०, ख० नं0 400 रकबा 0.36 है०, ख० नं0 403 रकबा 1.51 है०, ख०नं0 408 रकबा 0.21 है0, ख० नं0 415 रकबा 0.71 है०, ख० नं0 589 रकबा 0.09 है०. कुल 10 किता की कुल रकबा 4.18 है. पर अप्रार्थी रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थी किसी भी प्रकार रहन, बेचान, दान, वसीयत इत्यादि से विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं करे। यह अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रभावी रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो। फैसल सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)